

सोना चाँदी के गहने साफ करने के नाम पर लोगो से ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के कुशल निर्देशन में विवेचक उ०नि० अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा मु०अ०सं० 206/2023 धारा 420/379 भा०द०वि० से संबंधित अभियुक्तगण 1. विककी कुमार शाह पुत्र विष्णुदेव शाह निवासी ग्राम विलौरी थाना रानीपट्टरा जनपद पूर्णिया(बिहार) 2. रोहित कुमार शाह पुत्र अनिल शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुलसेला जनपद कटिहार(बिहार) 3. मनोहर शाह पुत्र मायानन्द शाह निवासी हसेली पीरमकाम थाना फल्का जनपद कटिहार(बिहार) को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना क्षेत्र धर्मशाला बाजार में दो अज्ञात व्यक्ति बर्तन बेचने का सेल्स मैन बनकर बर्तन साफ करने के लिए वादी मुकदमा के माता से गहना साफ करने के नाम पर आभूषण लेना एवं एक कागज में कंकड़ पत्थर लपेट कर दे देना व आभूषण की चोरी कर लेने के संबंध में वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना गोरखनाथ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसका सफल अनावरण चौकी प्रभारी धर्मशाला उ०नि० अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. विककी कुमार शाह पुत्र विष्णुदेव शाह निवासी ग्राम विलौरी थाना रानीपट्टरा जनपद पूर्णिया(बिहार)
2. रोहित कुमार शाह पुत्र अनिल शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुलसेला जनपद कटिहार(बिहार)
3. मनोहर शाह पुत्र मायानन्द शाह निवासी हसेली पीरमकाम थाना फल्का जनपद कटिहार(बिहार)

बरामदगी -

1. नगद 11,700 ₹
2. तीन अदद बैग में क्लिनिंग पाउडर
3. तीन अदद प्लास्टिक के डिब्बे में नग
4. मोटर साइकिल होण्डा एसपी BR11BB 2265
5. मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे BR39AC 8546

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 234/2023 धारा 379,411 भा०द०वि० थाना पिपराईच गोरखपुर

मु0अ0सं0 67/23 धारा 406,420,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गोरखपुर
मु0अ0सं0 201/2023 धारा 420,379,411 भा0द0वि0 थाना गोरखनाथ गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्र थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. HC अशोक कुमार यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर
3. HC विजय कुमार थाना गोरखनाथ गोरखपुर
4. का0 मुकेश कुमार बिन्द थाना गोरखनाथ गोरखपुर